

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन, करनाल

क्रमांक: 31-13/18-19/आर.एस.के/ 301-10

दिनांक 03-08-2018

सेवा में

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि हमें अपना निम्नलिखित कार्य ठेके पर करवाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपनी कुटेशन दिनांक 27/08/18 साय: 3-00 बजे तक दें। लिफाफे पर यह साफ लिखा होना चाहिये कि कुटेशन 27/08/18 की देय है। जिसे 27/08/18 को साय: 3-30 बजे खोला जायेगा।

| क्रमांक | कार्य का विवरण | कुल क्षेत्र | कार्य की तिथि |
|---------|----------------|-------------|---------------|
|---------|----------------|-------------|---------------|

खरीफ बीज फसलों जैसे धान, ज्वार, अरहर, ढेंचा तथा सब्जी की बीज फसलों एवं रबी बीज फसलों में प्लेवा हेतु चार नलकूपों को चला कर सिंचाई आपूर्ति करना।

01 सितम्बर, 2018 से
15 नवम्बर 2018 तक

नियम व शर्तें

- ठेकेदार के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी जो कि सरकार द्वारा तय की गई है वह देनी होगी।
- ठेकेदार की यह जिम्मेवारी होगी कि वह प्रत्येक श्रम कानून की सब धाराओं का पालन करे इसकी अवहेलना करने पर वह स्वयं जिम्मेवार होगा इस सम्बन्ध में कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
- भुगतान कार्य की सन्तोषजनक समाप्ति पर किया जायेगा। यदि ठेकेदार या उसके श्रमिकों की वजय से इस कार्यालय का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होगा, उसका उत्तरदायी ठेकेदार होगा।
- इस कार्यालय द्वारा नलाई/कटाई आदि के लिये कोई खुरपा/दराती आदि नहीं दिया जायेगा।
- किसी भी कुटेशन को मंजूर अथवा न मंजूर करने का अधिकार इस कार्यालय को बिना कोई कारण बताये सुरक्षित होगा।
- कार्य की जानकारी कुटेशन देने से पहले डा० नीलम कुमार चौपड़ा, प्रधान वैज्ञानिक, क्षेत्रीय स्टेशन, करनाल से प्राप्त करें क्योंकि उपरोक्त कार्य बीज उत्पादक हेतु करना है।

विनीत क. पंडा
अध्यक्ष/Head

भा० कृ० अ० स० क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल
IARI-Regional Station, Karnal

03/08/18